न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 726/ 2019

महेन्द्र पुत्र रामनारायण उम्र 35 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड न0 10 लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

वादी

बनाम

1 रामनारायण पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 10 लालगजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

2 नीलम पुत्री रामनारायण पत्नी पतराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 2 जीवनदेसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री मेजर सिंह अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री सन्दीप कुमार अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1 व2)

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय **दिनांक :–** 31/10/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88,92 ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 8 एसडीपी की जमाबंदी सं0 2071–2074 के खाता सं0 57/82 मे कुल 0.506 हैक्टयर आराजी मे से 1/4 हिस्सा या नि 0.1265 हैक्टयर व इसी चक के खाता सं0 58/63 मे कुल 7.590 हैक्टयर आराजी मे से 1/4 हिस्सा यानि 1.8975 हैक्टयर यानि उक्त दोनो खातो मे कुल 2.024 हैक्टयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार पटवार माल है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज उक्त वर्णित आराजी वादी की जद्वी जायदाद एवं पैतृक सम्पति है जिसमे वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है जिसे वादी प्राप्त करने का हकदार एवं अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज उक्त वर्णित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण ने करीब 10–12 वर्ष पुर्व फैमलीसैटलमेण्ट के आधार पर घरू बंटवाराकर लिया था तथा उक्त बंटवारानुसार वादी के हक व हिस्सा मे आई उक्त कब्जा काश्त की आराजी बंटवारा के समय से ही वादी बिना किसी विघन के लगातार काबिज एवं काश्त करता आ रहा है। इसलिये अपने हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की आराजी अपने नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाने का हकदार एवं अधिकारी है। वादी मुताबिक घरू बंटवारा व फैमलीसेटलमेण्ट के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज उक्त दोनो खातो की कुल 2.024 हैक्टयर आराजी मे से 1/2 हिस्सा यानि 1.012 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करवाकर उक्त

पाने का हकदार एवं अधिकारी है। मुताबिक घरूबंटवारा के अनुवार वादी के हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की आराजी वादी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड नही होने के कारण वादी को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओ जैसे ऋण, मुआवजा राशि, अनुदान राशि, आदि से वंचत रहना पड़ता है इसलिये अपने हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की आराजी अपने नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाने की घोषणा पाने का हकदार एवं अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

अतः वाद वादीगण की तरफ से पेश कर निवेदन है कि :–

कि राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 8 एसडीपी की जमाबंदी सं0 2071–2074 के खाता सं0 57/82 मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज 0.1265 हैक्टयर आराजी मे से 1/2 हिस्सा यानि 0.6325 हैक्टयर आराजी तक प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.6325 हैक्टयर आराजी का वादी महेन्द्र को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कि राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 8 एसडीपी की जमाबंदी सं0 2071–2074 के खाता सं0 58/63 मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज 1.8975 हैक्टयर आराजी मे से 1/2 हिस्सा यानि 0.9475 हैक्टयर आराजी तक प्रतिवादी सं0 1 रामनारायण का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.9475 हैक्टयर आराजी का वादी महेन्द्र को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा एव राजीनामानुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है एंव वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादी एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को राजीनामा पेश कर स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव वादी द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी की कब्जा काश्त के सम्बध में कोई विरोध नही किया है, इस प्रकार वादी ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक नं0 8 एसडीपी की जमाबंदी सं0 2071–2074 के खाता सं0 57/82 मे दर्ज कुल आराजी 0.506 है. नहरी में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज

1/2 हिस्सा यानि 0.063 हैक्टयर आराजी का एव चक नं0 8 एसडीपी की जमाबंदी सं0 2071–2074 के खाता सं0 58/63 मे दर्ज कुल खाता 7.590 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज 1.8975 हैक्टयर आराजी मे से वादी महेन्द्र को 1/2 हिस्सा यानि 0.9475 हैक्टयर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/10/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 726/ 2019

महेन्द्र पुत्र रामनारायण उम्र 35 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड न0 10 लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

वादी

बनाम

1 रामनारायण पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 10 लालगजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

2 नीलम पुत्री रामनारायण पत्नी पतराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 2 जीवनदेसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री मेजर सिंह वकील वादी मिन जामिन मुद्दई श्री रामकुमार जालवाल वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक नं0 8 एसडीपी की जमाबंदी सं0 2071–2074 के खाता सं0 57/82 मे दर्ज कुल आराजी 0.506 है. नहरी में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज 0.1265 हैक्टयर आराजी मे से वादी महेन्द्र को 1/2 हिस्सा यानि 0.063 हैक्टयर आराजी का एव चक नं0 8 एसडीपी की जमाबंदी सं0 2071–2074 के खाता सं0 58/63 मे दर्ज कुल खाता 7.590 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज 1.8975 हैक्टयर आराजी मे से वादी महेन्द्र को 1/2 हिस्सा यानि 0.9475 हैक्टयर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31/10/19 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
सादुलशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.11 10:44:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: